छापा — ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से मचा हड़कंप, 10 लाख के बिल भुगतान के लिए मांगी थी घूस

बिजली कंपनी के दो अफसर 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

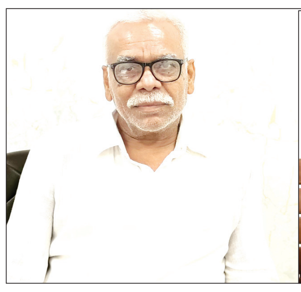

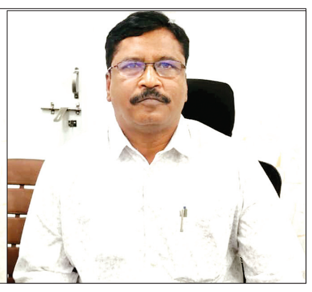

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रामपुर स्थित मुख्यालय में सोमवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बिजली कंपनी के दो सीनियर अफसरों को उनके ही दफ्तर में ठेकेदार से 25 हजार की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारियों में एडिशनल चीफ इंजीनियर (अतिरिक्त मुख्य अभियंता) प्रहलाद मर्सकोले और कार्यपालन यंत्री चंद्रशेखर मेहरा शामिल हैं। रिश्वतखोरों ने 10 लाख के बिल भुगतान के लिए घूस मांगी थी।

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ठेकेदार अशोक कुमार द्विवेदी निवासी गुसेश्वर, ने कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील के ग्राम बंधैया में जूनियर इंजीनियर कार्यालय का निर्माण कार्य किया था। इस निर्माण कार्य का करीब 10 लाख रुपये का अंतिम भुगतान बिजली कंपनी के सिविल विंग से जारी होना बाकी था। इस बिल को पास करने और फाइल आगे बढ़ाने के एवज में कार्यपालन यंत्री चंद्रशेखर मेहरा ने 20,000 रुपये की मांग की थी जिसमें से 5,000 रुपये वह पहले ही ले चुका था। अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रहलाद मर्सकोले ने अपने पद का धौंस दिखाते हुए अलग से 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

जाल बिछा धरदबोचा- परेशान ठेकेदार ने इसकी गोपनीय शिकायत ईओडब्ल्यू जबलपुर से की। मामले का भौतिक सत्यापन करने के बाद सोमवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड शेड नं 9 बी रामपुर में अधीक्षक अभियंता (सिवल) वितरण वृत्त, कार्यपालन अभियंता सिविल वितरण संभाग कार्ययालय में जाल बिछाया। रिश्वत की रकम के साथ ठेकेदार को भेजा गया। अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्किल कार्यालय में जैसे ही ठेकेदार ने रिश्वत की दूसरी किश्त के पैसे अफसरों को सौंपे, घात लगाकर बैठी टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

प्रहलाद के पास 10 तो चंद्रशेखर के पास मिले 15 हजार

ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के दौरान प्रहलाद मर्सकोले के पास से 10,000 रुपये नगद बरामद हुए। जबकि चंद्रशेखर मेहरा के पास से 15,000 रुपये नगद जब्त किए गए। इस अचानक हुई छापेमारी से पूरे बिजली मुख्यालय में हड़कंप मच गया और कई अफसर अपने कमरों से बाहर निकल आए। ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 (ए) के तहत तत्काल आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। कागजी कार्रवाई देर शाम तक जारी रही।

ई-रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट से दी गई छूट वापस लेने पर केंद्र सरकार विचार करे

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर शहर में ई-रिक्शा की धमाचौकड़ी एवं मोटर व्हीकल एक्ट से छूट मामले में सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कहा कि ई-रिक्शों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे ट्रैफिक में समस्या पैदा हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद सरकार ई-रिक्शा को दी गई छूट को वापिस लेने पर विचार करे। बेंच ने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को कहा कि वे इस संबंध में केंद्र सरकार को से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराएं। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि भारत सरकार ने 2018 में एक अधिसूचना जारी कर मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 66 के तहत ई.रिक्शा व बैटरी चलित वाहनों को छूट दी है।

चलती कार में अचानक भड़की आग

जबलपुर। शोभापुर क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार पिता-पुत्र समय रहते वाहन से बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

आस-पास के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के अनुसार, शोभापुर के उदय नगर निवासी जयेंद्र सिंह दोपहर में अपनी कार (क्रमांक MP 20 WA 8181) से अपने बेटे को स्कूल से लेकर लौट रहे थे। वे जैसे ही अपने घर के पास पहुंचे, तभी अचानक कार के इंजन से तेज धुआं निकलने लगा।

बोनट खोलते ही भड़कीं लपटें

धुआं उठता देख जयेंद्र सिंह ने तुरंत कार को सड़क के किनारे लगाया और बेटे को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद जैसे ही उन्होंने स्थिति जांचने के लिए कार का बोनट खोला, ऑक्सीजन मिलते ही आग अचानक भभक उठी। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, यदि यह हादसा कुछ मिनट पहले (जब कार मुख्य सड़क पर चल रही थी) होता, तो गंभीर स्थिति बन सकती थी।

गुना, ग्वालियर की खुली मतपेटियां

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव 2026 के तहत सोमवार को डिन्डोरी, गुना, ग्वालियर की तहसील की 2 मतपेटियों की मतगणना सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है एवं शेष मतपेटियों की मतगणना आज यानि मंगलवार को की जायेगी।

निर्वाचन प्रक्रिया अधिवक्ता समुदाय के व्यापक सहयोग एवं सहभागिता के साथ सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। मतगणना के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपादित हो रहा है, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो रही है।

इनके बीच जारी है कड़ा मुकाबला

वर्तमान मतगणना चरण में राकेश सिंह भदौरिया, डॉ विजय कुमार चौधरी, राजेश व्यास, गौरव मिश्रा और डॉ पी.सी कोठारी आगे चल रहे है प्रत्येक चरण के साथ चुनावी प्रतिस्पर्धा और अधिक सशक्त, प्रभावशाली एवं निर्णायक रूप लेती जा रही है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद निर्वाचन 2026 की मतगणना प्रक्रिया 16 जून से निरंतर जारी है अबतक के कुल 17,434 मतों की मतगणना हुई है जिसमें से 16,758 मतपत्र सही पाये गये हैं एवं 676 मतपत्र नियम विरूद्ध होने से निरस्त हुये।

मानसून की पहली झमाझम बारिश से भीगा शहर

16.2 मिमी वर्षा हुई रिकॉर्ड

नवभारत, जबलपुर। शहरवासियों को लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, वह आखिरकार सोमवार को आ ही गया। शहर में मौसम ने अचानक करवट बदली और मानसून की पहली झमाझम बारिश ने पूरे शहर को सराबोर कर दिया। इस मूसलाधार बारिश से लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि सोमवार सुबह की शुरुआत तीखी धूप के साथ हुई थी, जिससे लग रहा था कि आज भी गर्मी परेशान करेगी। हालांकि, जैसे-जैसे दिन चढ़ा, मौसम का मिजाज बदलने लगा। दोपहर तक आसमान में बादलों और सूरज के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा। इसके बाद करीब साढ़े तीन बजे अचानक घने काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया और देखते ही देखते तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मानसून की इस पहली जोरदार बारिश का स्वागत लोगों ने दिल खोलकर किया। बच्चे और युवा घरों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते दिखे। 16.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

ऐसा रहा तापमान

सोमवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आद्रता 69 और शाम को 76 प्रतिशत दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिमी हवाएं 5 से 6 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।

ये सिस्टम है सक्रिय

मौसम विभाग की माने तो एक नवीन पश्चिमी विक्षोभ के 02 जुलाई, 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और संलग्न क्षेत्रों के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। एक ट्रफ उत्तर-मध्य मध्य प्रदेश से सौराष्ट्र एवं कच्छ तथा उत्तरी मराठावाड़ा होते हुए पूर्व-मध्य अरब सागर तक माध्य समुद्र तल से 3.1 और 4.5 किमी की ऊंचाई के बीच विस्तृत है।

कांग्रेस ने की पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने की मांग

नवभारत, जबलपुर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम भारी मात्रा में कम होने के बावजूद घरेलू स्तर पर ईंधन की दरें न घटाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती कर आम जनता को महंगाई के दौर में राहत देने की मांग मोदी सरकार से की है। पार्टी का आरोप है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो मोदी सरकार तत्काल घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ा देती है, लेकिन कीमतें अत्यधिक घटने पर भी इसका मुनाफा आम जनता को नहीं दिया जा रहा है। राहत की मांग करने वालों में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश ओबीसी विभाग उपाध्यक्ष टीकाराम कोष्टा, ओबीसी विभाग प्रदेश कोऑर्डिनेटर अलीम मंसूरी, अशोक यादव, विजय अग्रवाल, डॉ. मोइन अंसारी, रामदास यादव, पी. पी. पटेल, राजू तोमर, सुरेंद्र तिवारी, श्याम सोलंकी, धर्मेंद्र कुशवाहा, संजू शर्मा, अनिल गुप्ता, संजू ठाकुर, अमित नामदेव और अशोक चौधरी शामिल हैं।

भारी मुनाफे के बाद भी दाम स्थिर

कांग्रेस नेताओं ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ समय पहले क्रूड ऑयल 90 से 110 डॉलर प्रति बैरल होने पर सरकार ने 108 रुपए प्रति लीटर चल रहे पेट्रोल के बढ़ा कर दाम 114 रुपए कर दिए थे। इस तरह 20 डॉलर दाम बढ़ने पर 6 रुपए प्रति लीटर रेट बढ़े, लेकिन आज क्रूड ऑयल 110 से घटकर 70 डॉलर (40 डॉलर कम) होने पर भी सरकार कीमतें नहीं घटा रही। सरकार दलील दे रही कि पुराना घाटा पूरा करने हेतु 3-4 माह रेट नहीं घटेंगे और यह सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, जबकि पेट्रोलियम कंपनियों का वर्ष 2025 और 2026 का घोषित मुनाफा लगभग 1 लाख करोड़ है।

आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने अजाक्स के अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई करना प्रशासनिक अधिकारियों का विशेषाधिकार है। कोर्ट सरकार को किसी के खिलाफ एनएसए की कारवाई के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस संबंध में पहले से एफआईआर दर्ज है। इसलिए अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में कानून अपना काम करेगा। उक्त मत के साथ एसीजे विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने दायर याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता जबलपुर के वकील अभिषेक दुबे की जनहित याचिका मे कहा गया कि अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वर्मा ने ब्राह्मण समाज को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे सामाजिक विद्वेष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तर्क दिया गया कि यह बयान प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिससे मध्य प्रदेश सहित देशभर के ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है।

जीतू पटवारी का पुतला दहन कर जताया आक्रोश

सीएम पर संपत्ति को लेकर लगाए जा रहे झूठे आरोप

नवभारत, जबलपुर। सर्वसमाज जन सेवक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सोमवार को मालवीय चौक पर मप्र कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। राम कुमार सह कार्यकारी प्रदेश सर्वसमाज जन सेवक संगठन अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लेकर जो संम्पत्ति के बारे में निराधार आरोप जीतू पटवारी द्वारा लगाए गए हैं उसका विरोध हर स्तर पर किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का काम दोबारा जीतू पटवारी न करें।

परिवर्तित मार्ग से चलेगी श्रीधाम एक्सप्रेस

जबलपुर, नवभारत। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में ललितपुर स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण रेल परिचालन प्रभावित रहेंगा। इस कार्य के दौरान गाड़ी संख्या 12192 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 14 जुलाई से 20 जुलाई तक 07 फेरे के लिए यह ट्रेन बीना-गुना-ग्वालियर परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57